जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 01.11.2024**

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 31.10.2024 को थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 01.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.चांद पुत्र जीशान निवासी ग्राम गाजीपुर थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने एवं पीडिता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 21.08.2024 को थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने एवं पीडिता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 02.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ व मारपीट करने एवं पीडिता के परिजनों को जान से मारने की धमकी देने के मामलें में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सचिन पुत्र देवी सिंह निवासी ग्राम शामली शामला थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्तः-

1.मु0अ0सं0-167/23 धारा 376(3)/452/506 भादवि0 ¾ पौक्सो एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
2.मु0अ0सं0-351/23 धारा 323/325/452/504/506 भादवि0 थाना झिंझाना जनपद शामली।
3.मु0अ0सं0-335/24 धारा 115(2)/333/351(3)/352/74 बीएनएसएस थाना झिंझाना जनपद शामली।

थाना कांधला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामदः-

आज दिनांक 02.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिनके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.खालिद पुत्र बाबर निवासी मौहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 चाकू ।